IN THE COURT OF A.D.J. IIIrd, JAMUI

T. A. 22/2016

S. No.	Date	Order	Remarks
1.	12-04-2021	अपीलार्थी एवं उत्तरवादी की ओर से अलग–अलग पैरवी की गई। वाद अभिलेख आज मेरे समक्ष अपीलार्थी की ओर से आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के अंतर्गत दिनांक 23.11.19 को दाखिल इस आशय के आवेदन पर आदेश हेतु प्रस्तुत है कि अपीलार्थी मौजा साकिनान– सोहजना के खाता सं0 61, खसरा सं0 1593 रकवा 11 डि0 जमीन पर अपने स्वत्व की घोषणा के लिए स्वत्व वाद सं0 93/96 दाखिल किया तथा रैय्यती खाता सं0 61 खसरा सं0 593 शिकमी थी जिसके शिकमीदार खीरू गोप थे तथा मूल रैयत दिनांक 28.07.1939 को खीरू गोप के पुत्रों के नाम शिकमी खाते के जमीन को बेच दिया तथा अपीलार्थी और विपक्षी दोनों को 11–11 डि0 जमीन हिस्सा में प्राप्त हुआ तथा विपक्षी ने दिनांक 05.09.1988 को अपना 11 डि0 जमीन से अधिक 18–1/2 डि0 जमीन बेच दिए, जो अवैध है तथा मुकदमा के समुचित निष्पादन के लिए न्यायहित में वाद पत्र के अनुतोषों में सुधार किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र के पारा 10 में अनुतोषों की प्रार्थना में – अदालत द्वारा घोषित किया जाए कि कथित कवाला दिनांक 05.09.1988 से वादीगण प्रतिबंधित नहीं है तथा प्रतिवादी सं0 1 को 18–1/2 डि0 जमीन बिक्री करने का अधिकार नहीं था, जोड़ने की कृपा की जाए। अपीलार्थी के उक्त आवेदन का उत्तरवादी की ओर से दिनांक 17.12.19 को प्रतिउत्तर दाखिल कर कथन किया गया है कि अपीलार्थी की ओर से दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है तथा अपीलार्थी ने विद्वान मुंसिफ, जमुई के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 93/96 दिनांक 06.12.1996 को दाखिल किया तथा उक्त स्वत्व वाद खाता सं0 61 खसरा सं0 1593 कुल रकवा 88 डि0 में से मात्र 11 डि0 जमीन पर लाया गया था तथा उक्त स्वत्व वाद को वादीगण हार चुके हैं तथा सच्चाई यह है कि अपीलार्थीगण को वादग्रस्त जमीन में हिस्सा नहीं है तथा विपक्षीगण को अपनी जमीन बिक्री करने का पूरा हक है तथा क्रेता का उकत जमीन पर आवासीय मकान है तथा 23 वर्षों के बाद अपीलार्थी को मूल वाद पत्र के अनुतोषों में सुधार नहीं ला सकते हैं तथा मूल स्वत्व वाद 93/96 निष्पादित हो चुका है तथा निर्णय के पश्चात वाद के अभिवचन में किसी भी प्रकार का संशोधन न्यायहित में नहीं है। अतः प्रार्थना है कि अपीलार्थी का आवेदन खारिज करने की कृपा की जाए। उभय पक्षों के वि0 अधि0 के तर्कों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के अनुसार–न्यायालय, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर दोनों में से किसी भी पक्षकार को अपने अभिवचनों का परिवर्तन या संशोधन करने की अनुमति ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों पर दे सकेगा जैसी कि न्यायोचित हो, तथा ऐसे सभी संशोधन, जो पक्षकारों के मध्य	

	लगातार 12.04.2021	संविवाद के वास्तविक प्रश्नों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों, किये जा सकेंगे : परन्तु यह कि संशोधन के लिये कोई प्रार्थना –पत्र विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं आता है कि सम्यक् तत्परता के बावजूद विचारण के प्रारम्भ के पूर्व पक्षकार मामला नहीं उठा सकता था। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने यह अपील स्वत्व वाद सं0 93/1996 में पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध दाखिल किया है तथा अपीलार्थी मांगे गए संशोधन के द्वारा उनकी ओर से वर्ष 1996 में दाखिल वाद पत्र के अनुतोष में संशोधन करना चाहते हैं जो लगभग 25 वर्ष पूर्व वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से दाखिल किया गया था तथा स्वत्व वाद सं0 93/1996 के वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पत्र की कंडिका 6 एवं 7 में अपीलार्थी/वादीगण द्वारा अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने खाता सं0 61, खसरा सं0 1593 की जमीनों का कवाला प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के हक में तहरीर एवं तामिल कर दिया है, जिसकी जानकारी वादीगण को दिनांक 29.11.1996 को हुई, इसलिए प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को इस मुकदमा में पक्षकार बनाया गया है तथा मुकदमें का वाद हेतुक दिनांक 29.11.96 को हुआ, जबकि प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा तामिल की हुई कवाला की जानकारी वादीगण को हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी/वादीगण ने स्वयं द्वारा दाखिल वाद पत्र में स्वयं स्वीकार किया है कि कवाला दिनांक 05.09.1988, जो प्रतिवादी सं0 1 ने 18–1/2 डि0 जमीन हेतु प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पक्ष में निष्पादित किया, उसकी जानकारी अपीलार्थी/वादीगण को दिनांक 29.11.1996 को हो गई थी। इस प्रकार यह स्वीकृत तथ्य है कि यदि अपीलार्थी/वादीगण द्वारा सम्यक् तत्परता बरती जाती तो वे इस संशोधन के मामले को विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण के पूर्व उठा सकते थे। अपीलार्थी द्वारा सम्यक् तत्परता नहीं बरतने के कारण अब उन्हें अपील के प्रक्रम पर मूल वाद पत्र के अनुतोष में उक्त संशोधन करने की अनुमति देना न्यायोचित एवं युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपीलार्थी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.11.19 खारिज किया जाता है। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्तागण अगली तिथि पर बहस हेतु उपस्थित रहे। दिनांक 04.06.21 वास्ते बहस हेतु। लेखापित -sd- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई।	

web copy